

कार्यालय :- अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां, जिला-बारां.

- :: नोटिस :: -

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु जारी निर्देश संख्या 10/पी.आई./2021 दिनांक 24.05.2021 की अनुपालना में दिनांक 25.05.2021 से 08.06.2021 तक निम्नलिखित आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई इस न्यायालय द्वारा की जावेगी :-

1. Bail Applications
2. Remand Matters
3. Injunction/stay Application
4. Supurdagi Application etc.

उक्त आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकरणों में आगामी तारीख पेशी निम्न प्रकार नियत की जाती है। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरणों में यदि कोई स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी तारीख पेशी तक प्रभावी रहेगा।

क्र. सं.	तारीख पेशी	आगामी तारीख पेशी फौजदारी प्रकरण	आगामी तारीख पेशी दीवानी प्रकरण	जे. सी. प्रकरणों में आगामी तारीख पेशी
1.	25.05.2021	17.07.2021	02.08.2021	----
2.	26.05.2021	19.07.2021	02.08.2021	2 पत्रावलियां 08.06.2021
3.	27.05.2021	22.07.2021	04.08.2021	----
4	28.05.2021	26.07.2021	04.08.2021	----
5	29.05.2021	28.07.2021	05.08.2021	----
6	31.05.2021	29.07.2021	05.08.2021	----
7	01.06.2021	31.07.2021	07.08.2021	----
8	02.06.2021	02.08.2021	07.08.2021	----
9	03.06.2021	04.08.2021	09.08.2021	----
10	04.06.2021	05.08.2021	09.08.2021	----
11	05.06.2021	07.08.2021	11.08.2021	----
12	07.06.2021	09.08.2021	11.08.2021	----
13	08.06.2021	11.08.2021	12.08.2021	----

अतः पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित आगामी पेशी को न्यायालय में उपस्थित हों।

S/L
अति० सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां, जिला बारां, राज०

क्रमांक :- 276-37
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ सादर प्रेषित है :-

1. अध्यक्ष अभिभाषक परिषद बारां राजस्थान।
2. न्यायालय नोटिस बोर्ड।
3. कार्यालय प्रति।

दिनांक :- 25/5/21

अति० सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां, जिला बारां, राज०